कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / /नग्रानि/09 बैतूल, दिनॉक:..................

प्रति,

सतपुड़ा एज्युकेशन समिति
अध्यक्ष संजय अग्रवाल
गाँधी चौक मुलताई

विषयः– निवेश अनुज्ञा प्रदान करने सम्बन्धी।

सन्दर्भः– आपका आवेदन पत्र प्राप्त दिनॉक 29/12/11।

::::000::::

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के तारतम्य में आवेदनानुसार यथावर्णित आधिपत्य भूमि ग्राम हीवारखापा खसरा क्रमांक 67/2, 67/4/5 रकबा 0.809 मे से रकवा .... पर व्यवसायिक प्रयोजन में उच्चतर शाला भवन निर्माण हेतू बैतूल विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधानों व म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 की उपधारा 3 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत संग्लन मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये अनुसार क्षेत्र पर निवेश अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है:–

1. निम्नलिखित अधिनियम / नियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी तथा स्थानीय संस्था से अनुमति / अनापत्ति आदि प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अ) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1961 की धारा 172

ब) नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं पंचायती राज अधिनियम 1995 से भवन अनुज्ञा।

स) अनुविभागीय अधिकारी/नजूल विभाग से अनापत्ति।

यदि किसी अधिनियम/नियम के तहत कोई अनुमति / अनापत्ति आदि प्राप्त करना हो तो वह भी आवश्यक रुप से प्राप्त करना होगा।

2. संलग्न मानचित्रानुसार प्रश्नाधीन स्थल पर स्थित सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से ~~600~~ 6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा मार्गाधिकार एवं खुली भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।

Manager
Dreamz Play (Public)
School,multai 1030887

Principal
Dreamz Play (Public)
School Multai 1030887

3. संग्लन मानचित्रानुसार प्रश्नाधीन स्थल पर निर्मित क्षेत्र, पार्किंग/सर्कुलेशन स्पेस एवं सीमांत खुला क्षेत्र क्रमशः सामने ...12.00...मीटर,पीछे...6.00.........मीटर,दांये......6.00 ..मीटर, एवं बांये...6.00.......मीटर रखना होगा।
4. प्रशनाधीन स्थल पर फर्शी क्षेत्रानुपात..........1.25..........ही अनुज्ञेय होगा।
5. बेसमेंट अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. संग्लन मानचित्रानुसार ही विकास/निर्माण कार्य करना होगा।
7. संग्लन मानचित्रानुसार दर्शित सुरक्षित खुले स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण के अतिरिक्त पर्यावरण की दृष्टि से करना आवश्यक होगा।
8. प्रशनाधीन स्थल पर विद्युत लाइनों हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 52, तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान नियमों के अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
9. प्रशनाधीन स्थल पर अग्निशमन की व्यवस्था आवश्यक रुप से अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से करनी हेगी तथा उक्त संबंध में आवश्यक अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करनी होगी।
10. प्रशनाधीन स्थल पर विकास/निर्माण से पूर्व संबंधित नगरपालिका परिषद् बैतूल से अधिनियमों के अन्तर्गत भवन निमार्ण अनुमति लेना आवश्यक होगा।
11. **प्रशनाधीन स्थल पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 के अनुसार शहरी जल संवधर्न प्राणाली हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी।**
12. **म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के तहत यह अनुज्ञा 3 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।**
13. **यदि किसी अन्य विभाग से अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत अनुमति/अनापत्ति आदि प्राप्त किया जाना हो तो आवश्यक रुप से प्राप्त करना होगी।**
14. **सारभूत तथ्यों के असत्य पाये जाने अथवा खसरा अक्स /बटांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।**
15. जल प्रदाय, सेप्टिक टेंक, आरक्षित खुला क्षेत्र, आंतरिक मार्गों पर वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आवश्यक सेवा–सुविधायें, अधोसंरचना का विकास लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग के निर्धारित मानकों के अनुसार एवं मानचित्रानुसार किया जाना आवश्यक होगा।
16. ~~प्रशनाधीन स्थल पर अधिकतम भू-तल आच्छादन 30% से अधिक मान्य नहीं होगा।~~

Manager
Dreamz Play (Public)
School,multai 1030887

Principal
Dreamz Play (Public)
School Multai 1030887

किसी भी प्रकार का भूमि स्वामित्व, सीमा विवाद तथा पहुँच मार्ग या सारभूत तथ्यों के असत्य पाये जाने पर व उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में दी गई अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिव्होक मानी जावेगी।

संलग्नः– मानचित्र की एक प्रति।

(ह0) उपसंचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
बैतूल

बैतूल, दिनॉकः 11/4/12

पृ.क्रमांक / /नग्रानि/09

प्रतिलिपः–

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैतूल,जिला बैतूल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी/नजूल अधिकारी/ग्राम पंचायत को मानचित्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतू सूचनार्थ अग्रेषित।

(ह0) सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
बैतूल (म.प्र.)

Manager
Dreamz Play (Public)
School,multai 103088

Principal
Dreamz Play (Public)
School Multai 1030887

PROP LAL OUT PLAN OF SATPUDA DREAMS ...
SANJAY AGRAWAL MULTAI DIST BETUL AT VILLAGE
HIRAKHAPA KHASHRA NO. 67/2 67/4

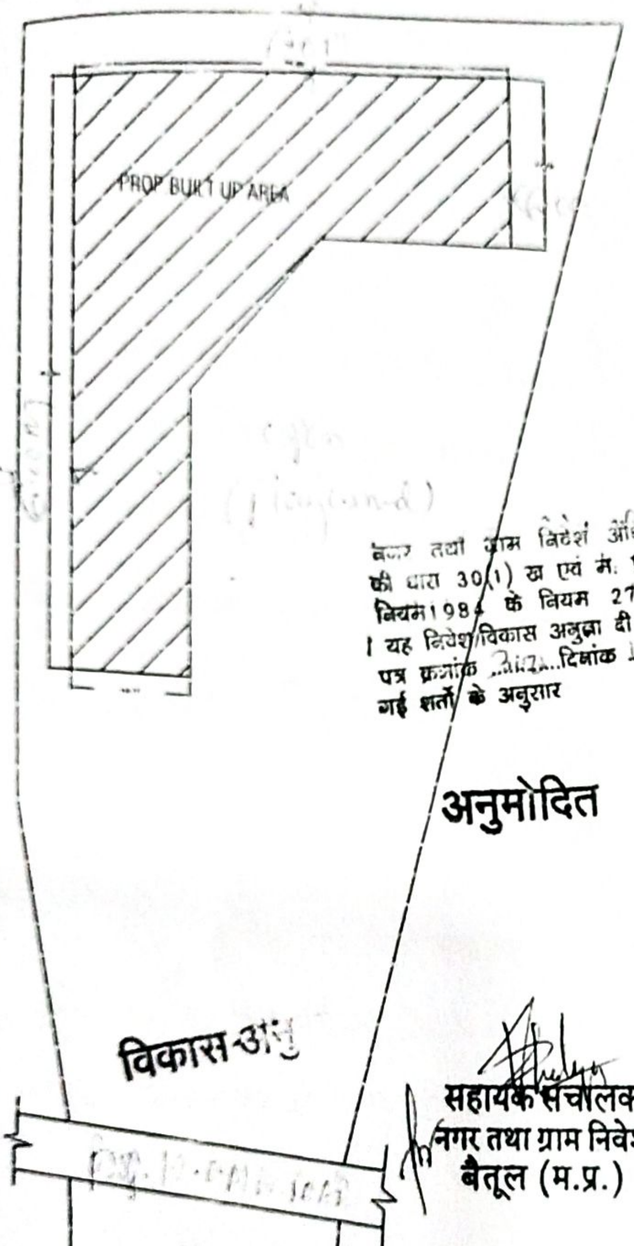

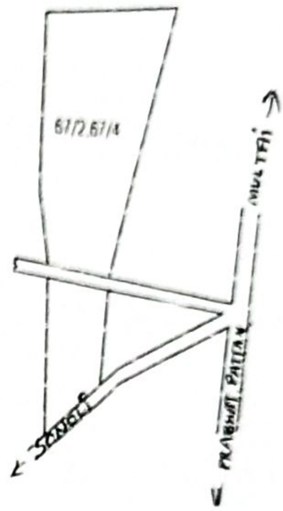

KHASHRA MAP

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 30(1) ख एवं म. प्र. भूमि नियम 1984 के नियम 27(1) की । यह निवेश/विकास अनुज्ञा दी गई है। पत्र क्रमांक .... दिनांक .... गई शर्तों के अनुसार

अनुमोदित

विकास अनु

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
बैतूल (म.प्र.)

AREA STATMENT

TOTAL AREA	= 8090.00 SQM
	= (0.809 HECT.)
UNDER ROAD AREA	= 200.00 SQM
NET SCHEME AREA	= 7890.00 SQM
SUPER BUILT UP AREA	= 1527.00 SQM
OPEN AREA	= 6363.00 SQM
TOTAL AREA	= 7890.00 SQM
F.A.R.	= 1.25

NORTH -

SCALE -

OWNER SIGN

Manager
... (Public)
...030887

Principal
Dreamz Play (Public)
School Multai 1030887

Manager
Dreamz Play (Public)
School,multai 1030887

ALL DIMENSIONS ARE IN METER

ARCHITECT/ENGGSIGN

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला - बैतूल (म. प्र.)

क्र./शाखा/मान्यता/2014/ 1148

बैतूल, दिनांक :- 22-03-2014

प्रति,

आयुक्त

लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र. भोपाल

विषय :- अशासकीय संस्था ड्रीम्स पब्लिक स्कूल मुलताई को सी. बी. एस. ई. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत् ;

संदर्भ :- अशासकीय संस्था ड्रीम्स पब्लिक स्कूल मुलताई का आवेदन पत्र क्रमांक / 15 दिनांक 27-07-2013

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत अशासकीय संस्था ड्रीम्स पब्लिक स्कूल मुलताई (सतपुड़ा ड्रिम्स समिति मुलताई द्वारा संचालित रजि. नं. 23239/11 दिनांक 18.04.2011) को सी. बी. एस. ई. नई दिल्ली, को सम्बद्धता का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की अनुशंसा की जाती है।

प्र. क्र./शाखा/मान्यता/2014/ 1149

बैतूल, दिनांक :- 22-03-2014

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, ड्रीम्स पब्लिक स्कूल मुलताई।

22-3-14

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला :- बैतूल (म.प्र.)

Manager
Dreamz Play (Public) School,multai 1030887

Principal
Dreamz Play (Public) School Multai 1030887